



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.3(10)वन / 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक:—25.02.2020

आदेश

राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3(10)वन / 2014
दिनांक 13.05.2016 एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. समर्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. समर्त अतिऽ मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.ओ.एफ.) राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान जयपुर।
7. अतिऽ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8. समर्त जिला कलेक्टर.....
9. समर्त, मुख्य वन संरक्षक.....
10. रक्षित

(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी, वन